

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 57 / 2024
अनवान : –

1. जगलाल बैनीवाल पुत्र श्रीचन्द बैनीवाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र 3. रामजीलाल 4. देवीलाल 5. इन्द्राज 6. अमीलाल पि0 श्रीचन्द जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

– असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
उपस्थिति :—श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 30/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने दिनांक 15.11.2022 को रोही मौजा पाण्डुसर के ख0न0 495/45 के कुल 0.1060 हैक्ट का स्वयं की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत अनवानी जगुलाल बैनीवाल बनाम सरकार प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.03.2023 को स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी स0 1 ता 5 ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के यहां अपील स0 159/2023 अनवानी राजेन्द्र आदि बनाम जुगलाल बैनीवाल आदि प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 06.07.2023 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.03.2023 को अपास्त कर इस विवेचन के साथ रिमाण्ड किया गया की उभयपक्षों को सुनकर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षो को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की मुताबिक राजीनामा हमारी सहमति से ख0न0 489/45, 491/45, 492/45 व 464/45 इन सभी खसरों में खेत के बीच में हमारी ढाणी बनी हुई है। खेत की सीव से यानि उत्तरी पूर्वी दिशा से 464 फुट दक्षिण पूर्व 398 फुट छोड़कर दक्षिण से उत्तर की तरफ 2 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा पूर्व में स्वीकृत रास्ता निरस्त किया जावे। मुताबिक सहमति के राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता दर्ज किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने निवेदन किया की मुताबिक राजीनामा हमारी सहमति से ख0न0 489/45, 491/45, 492/45 व 464/45 इन सभी खसरों में खेत के बीच में हमारी ढाणी बनी हुई है। खेत की सीव से यानि उत्तरी पूर्वी दिशा से 464 फुट दक्षिण पूर्व 398 फुट छोड़कर दक्षिण से उत्तर की तरफ 2 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा पूर्व में स्वीकृत रास्ता निरस्त किया जावे।

Rahul



बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का कथन है कि मुताबिक राजीनामा हमारी सहमति से ख0न0 489/45, 491/45, 492/45 व 464/45 इन सभी खसरो में खेत के बीच में हमारी ढाणी बनी हुई है। खेत की सीव से यानि उत्तरी पूर्वी दिशा से 464 फुट दक्षिण पूर्व 398 फुट छोड़कर दक्षिण से उत्तर की तरफ 2 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा पूर्व में स्वीकृत रास्ता निरस्त किया जावे।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल एवं गैरसायलान द्वारा सहमति पेश की गई है एवं मुताबिक सहमति रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों एवं सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक सहमति स्वीकार योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों एवं अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाकर रोही मौजा पाण्डुसर के ख0न0 489/45, 491/45, 492/45, 493/45 व 494/45 इन सभी खसरो में खेत के बीच में उत्तरी पूर्वी दिशा से 464 फुट दक्षिण पूर्व 398 फुट छोड़कर दक्षिण से उत्तर की तरफ 2 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुामनगढ़ द्वारा पारित आदेश की पालना में रोही मौजा पाण्डुसर के ख0न0 495/45 की 0.1060 हैक्ट भूमि में रास्ता खारिज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Rahul .
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर